RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

वर्ष 2010–11 के बजट की घोषणानुसार राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का गठन कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया। इस निगम के प्रमुख कार्यों में एक कार्य भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य के बाहर स्थित चीनी मिलों से खाद्यान्न सामग्री एवं चीनी का निर्धारित अवधि में उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों को बिना किसी विलम्ब के आपूर्ति करना, साथ ही निगम राशन की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पीडीएस सामग्री उपलब्ध करवाया जाना रखा गया, ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुयें उचित मुल्य पर प्राप्त हो सके। निगम को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी निर्धारित किये गये।

निगम के प्रमुख कार्य :–

1. निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदश में उचित मुल्य की दुकानों पर आपूर्ति करवाना। परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवही सम्पन्न करना।

2. राज्य में उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पीडीएस सामग्री बडे निर्माताओं से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मुल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाना।

3. बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करना।

4. निगम के नीतिगत एवं महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु संचालक मण्डल का गठन किया गया। संचालक मंडल में प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि जो सचिव स्तर के अधिकारी होगे, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीं राज, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम सदस्य रखे गये है तथा आवश्यकता होने पर राज्य सरकार की अनुमति से निगम के संचालक मण्डल में अन्य सदस्य नियुक्त किये जा सकेंगे। संचालन मंडल के अध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग रखे गये हैं।